धारा 69 : गिरफ्तार करने की शक्ति

(1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा अपराध कारित किया है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा केन्द्रीय कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है वहां व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की सूचना देगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) *दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए–

(क) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में उसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में, उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वही शक्तियां होंगी जो किसी पुलिस थाने के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं और वह उन्हीं उपबंधों के अधीन होगा जिनके अधीन पुलिस थाने का प्रभारी व्यक्ति होता है।

---

* देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का क्रमांक 46) (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।